



Neutral Citation No. - 2026:AHC:57884-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विशेष अपील संख्या - 318 सन् 2026

श्रीमती सुमन राव

.....अपीलकर्ता

बनाम

कुसुम देवी और 6 अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : तनुज शाही

प्रतिवादी के अधिवक्ता : आशीष कुमार (नागवंशी), सी.एस.सी., रमेश चंद्र द्विवेदी,
शेष कुमार श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह

माननीय न्यायमूर्ति विवेक सरन

1. हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री तनुज शाही, मूल याचिकाकर्ता/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश चंद्र द्विवेदी, बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष कुमार (नागवंशी), प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री शेष कुमार श्रीवास्तव की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री बीना मिश्रा और राज्य के विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजीव गुप्ता को सुना।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. निवेदन यह है कि एक बार जब रिट न्यायालय द्वारा याचिका को गैर-स्वीकार्य घोषित कर दिया जाता है, तो न्यायालय के पास कोई रिपोर्ट मंगाने या कोई अन्य आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं रह जाता है।

3. दूसरी ओर, शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने **गरिमा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2026 एससीसी ऑनलाइन ऑल 159** में रिट न्यायालय के पूर्व निर्णय से उत्पन्न तथ्यों का हवाला दिया, जिसमें उचित जांच करने का निर्देश जारी किया गया था। इसके विरुद्ध दायर विशेष अपील, **गरिमा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2026:एचसी:48246-डीबी** को हमारे पूर्व आदेश दिनांक 10.03.2026 द्वारा खारिज कर दिया गया है।

4. इसके बाद, उन्होंने **राम दरश सिंह बनाम गंगा प्रसाद यादव और अन्य, 2011:एचसी:84132-डीबी** में समन्वय पीठ के आदेश का भी उल्लेख किया है, जिसमें 35 वर्षों की सेवा के बाद जांच की कार्रवाई को बरकरार रखा गया था।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बात सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, हम यह पाते हैं कि **गरिमा सिंह (उपरोक्त)** मामले में रिट न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए थे:

"11. प्रधान सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकारियों से धोखाधड़ी करके नियुक्ति प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों के विरुद्ध, कानून के अनुसार, उचित कार्रवाई की जाए, जिसमें नियुक्ति रद्द करना और जहां भी संभव हो, वेतन की वसूली करना शामिल है। साथ ही, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध भी कठोर अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाए जो ऐसी धोखाधड़ीपूर्ण नियुक्तियों में मिलीभगत करने, सहायता करने या जानबूझकर अनदेखी करने के दोषी पाए जाते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाए।"

6. उस जांच का जो भी परिणाम हो, मूल याचिकाकर्ता/प्रतिवादी, कुसुम देवी द्वारा यह याचिका केवल निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई थी:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"I) परीक्षा नियंत्रक, पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दिनांक 20.07.2025 को पारित आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

II) प्रतिवादी अधिकारियों, विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 4 को याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने और इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिवादी संख्या 7 के शास्त्री पाठ्यक्रम की डिग्री रद्द करने का निर्देश देने के लिए अंतरिम परमादेश प्रकृति का रिट, आदेश, नियम या निर्देश जारी किया जाए;

III) इस मामले की परिस्थितियों में माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करना;

IV) याचिकाकर्ता को लागत का भुगतान करवाना।

7. इस प्रकार, गरिमा सिंह (उपरोक्त) मामले में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के संबंध में कोई निर्देश नहीं मांगा गया था। इन तथ्यों के आधार पर रिट न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है:

"यद्यपि, शिकायतकर्ता की याचिका विचारणीय नहीं है।"

9. एक बार जब रिट न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता की याचिका पर यह टिप्पणी कर दी गई हो कि यह विचारणीय नहीं है, तो रिट न्यायालय के लिए इस पर कोई टिप्पणी करने या कोई रिपोर्ट आमंत्रित करने का अधिकार नहीं रह जाता है।

10. यह निर्विवाद है कि रिट याचिका जनहित याचिका की प्रकृति की नहीं है। यह भी निर्विवाद है कि रिट न्यायालय के पास जनहित याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था।

11. उपरोक्त के मद्देनजर, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में सिद्धांत की त्रुटि हो सकती है, क्योंकि इसके बाद यह टिप्पणी की गई है -

"यद्यपि, इस न्यायालय ने रिट-ए संख्या 19634/2025 (गरिमा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य) में दिनांक 22.01.2026 को एक आदेश पारित किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के बुनियादी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को धोखाधड़ी से प्राप्त नियुक्तियों के साथ-साथ ऐसी नियुक्तियों में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया था, अतः न्याय के हित में, इस मामले में भी जांच की जाए और अगली तिथि तक इस न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

इस मामले को 9 मार्च, 2026 को नए सिरे से सूचीबद्ध किया जाए।"

12. राम दरश सिंह (उपरोक्त) मामले में, कुछ समय बीत जाने के बाद जांच के आदेश दिए जाने का तथ्य हमारे लिए अधिक ध्यान देने योग्य नहीं है, क्योंकि याचिका को स्वयं याचिका न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य नहीं पाया गया है। हम केवल उसके बाद की गई टिप्पणियों की वैधता और याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए भी कार्यवाही जारी रखने से संबंधित हैं। इसलिए, राम दरश सिंह (उपरोक्त) मामले का निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है।

13. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। रिट याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए रिट न्यायालय द्वारा की गई सभी टिप्पणियाँ निरस्त की जाती हैं। रिट याचिका सुनवाई योग्य न होने के कारण खारिज की जाती है।

20 मार्च, 2026

दीपिका

(न्यायमूर्ति विवेक सरन) (न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह)